भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 466300

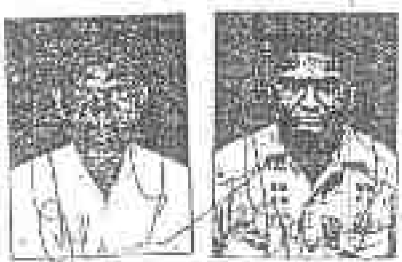

विक्रय मूल्य	:	रु0 15,00,000/-
मालियत	:	रु0 77,42,250/-
स्टाम्प	:	रु0 5,42,100/-
परगना	:	महोबा

--: लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण :--

1. भूमि का प्रकार :: कृषि.
2. वार्ड/परगना :: महोबा.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उप कोषागार
बी०के०टी० सी०आर०

02 JUL 2013

(2)

3.	मोहल्ला/ग्राम	::	अहियाव,
4.	सम्पत्ति का विवरण	::	खसरा नं0-627, कुल रकबा 1.322हे0, स्थित-अहियाव, परगना-महोना, तहसील-बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ का 1/3 भाग रकबा 0.440हे0।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

02 JUL

(3)

5.	आयत की इकाई	: हेक्टेयर.
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.440780
7.	सड़क की स्थिति	: लौतापुर रोड, कुर्सी रोड व रिंग रोड व परिशिष्ट-क में वर्णित मार्गों से 1 किलोमीटर से अधिक दूर.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

02 JUL 2015

(4)

8. अन्य विवरण :: कुछ नहीं,
9. सम्पत्ति का प्रकार :: कृषि भूमि,
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल :: 0.4407ह0

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 JUL 2013

(5)

11. डिग्री का मूल्यांकन :: कुछ नहीं.
12. बोरिंग/कुआं/अन्य :: कुछ नहीं.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

446395

0 JUL 2013

(6)

चौहद्दी :-

पूरब	:	नाली बावद्द खसरा सं0-350, 351,
पश्चिम	:	खसरा सं0-627 का भाग, सहखातेदार
उत्तर	:	खसरा सं0-626,
दक्षिण	:	खसरा सं0-627 का भाग - सहखातेदार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

466306

0 JUL 2013

(५)

विक्रेता की सं0- 1

राम सेवक पुत्र स्व0 महावीर, निवासी-ग्राम अर्दैयाव, परगना-महोना, तहसील-बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ।

नि0 अं0 रामसेवक

रामदेवी कुमारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

466307

0 JUL 20

क्रेता की सं0-1

अवधेश कुमार पुत्र स्व0 परसन, निवासी-मकान सं0-16, रसूलपुर सादात, ग्राम कमासी, परगना महोना, तहसील-बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ-227105

अवधेश कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 466308

JUL 2013

(9)

:: विक्रय विलेख ::

जबकि राम सेवक पुत्र स्व0 महावीर, निवासी-ग्राम मड़ियांव, परगना-महोना, तहसील बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ (जिन्हें आगे "विक्रेता" कहा गया है) का है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 466309

JUL 2018

(10)

जोकि विक्रेता आराजी भूमिधरी खसरा नं0-627, कुल रकबा 1.322हे0, स्थित-ग्राम मड़ियाव, परगना-महोना, तहसील-बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ के 1/3 भाग रकबा 0.4407हे0 का मालिक, काबिल व काबिज है और उपरोक्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 466290

(11)

आराजी विक्रेता की पुश्तैनी सम्पत्ति है, और विक्रेता के नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित है। आराजी उपरोक्त वही रेहन,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹ 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 46629

बय, हिबा इत्यादि नहीं है तथा हर प्रकार के विवादों व भारों जैसे रेहन, बय, हिबा, इकरारनामा बय, जमानत, मुकदमा, कुर्की आदि से बरी व पाक साफ है। जिसे विक्रय व हस्तान्तरित करने का विक्रेता को समस्त अधिकार व हक हासिल है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 466292

(13)

अब विक्रेता अपनी राजी खुशी से खूब सोच-समझकर बिना दबाव नाजायज किसी शख्स के बजरूरत खुद उसी आराजी को जुमला हकूक मुतालिकात उसके बिला छोड़े किसी चीज व हक व जुज के बिलएवज् मुबलिग रू0 15,00,000/-

उमेश चन्द्र कुमार

नि.ओ. (दस्तखत)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 466293

(14)

(रू0 पन्द्रह लाख मात्र) जिसके आधे रू0 7,50,000/- (रू0 सात लाख पचास हजार मात्र) होते हैं, बदस्त क्रेता अवधेश कुमार पुत्र स्व0 परसन, निवासी-मकान नं0-16, रसूलपुर सादात, ग्राम कपासी, परगना-महोना, तहसील-बक्शी का

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

466294

JUL 2013

(15)

तालाब, जिला लखनऊ-227105 को विक्रय कतई कर दिया और कुल विक्रय मूल्य नीचे लिखे विवरण के अनुसार क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04 465295

01 JUL 2013

(16)

मालिकाना आज की तारीख से विक्रीशुदा सम्पत्ति रकबा उपरोक्त पर क्रेता का बखूबी करा दिया। अब विक्रेता व विक्रेता के वारिसान का कोई भी दावा व हक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 466296

(17)

बाबत् सम्पत्ति बयशुदा व जरसमन के खरीदार से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करें तो वह नाजायज होवे।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 466297

(18)

जोकि अगर किसी की दावेदारी, हकदारी व उजरदारी से आराजी बयशुदा कुल या जुज कब्जा किसी समय क्रेता से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं रेहन,

नि.अं. (हस्ताक्षर)

अवधेश कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 466298

(17)

बय, हिबा आदि निकले या कोई कानूनी झगड़ा बाबत् मिल्कियत हकीयत के पैदा होवे तो ऐसी दशा में उपरोक्त खरीदार को पूरा हक व अधिकार होगा कि वह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 466299

(20)

अपना कुल जरसमन मय हर्जा-खर्चा व नुकसान सब विक्रेता व उसके वारिसान व उसकी जात-खास व उसकी दीगर हर प्रकार की जायदाद चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, कुछ उज्र न होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चूंकि विक्रेता एवं क्रेता दोनों के स्थाई व पत्राचार के पते उपरोक्त हैं। आराजी मुख्य मार्ग "सीतापुर रोड, कुर्सी रोड व रिंग रोड" व परिशिष्ट-क में वर्णित मार्गों से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, जो किसी राष्ट्रीय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

राजमार्ग व जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। आराजी बयशुदा में कोई पेड़, कुआं, निर्माण आदि नहीं है। आराजी बयशुदा के 200 मीटर की त्रिज्या

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 042...

01 JUL 10

में विकास कार्य/आबादी नही है। आराजी बयशुदा नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है। आराजी बयशुदा को किसी निकाय के द्वारा किसी योजनान्तर्गत अधिग्रहीत

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1 JUL 2013

AL 489922

उप कोषाधिकारी

नहीं किया गया है। विक्रीत आराजी के बाबत् विक्रेता ने इस विक्रय विलेख के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज निष्पादित एवं निबन्धित नहीं किया है। अब क्रेता

राम सिंह

अवधेश कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

बी०के०टी० से जारी

AL 454302

01 JUL 2013

(25)

को यह हक व अधिकार होगा कि वह आराजी मुबैया को राजस्व अभिलेखों में अपने नाम अंकित/नामान्तरित करा लेवे। विक्रेता-क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उप कोषागार
AL 454306 जा
01 JUL 2015

जोकि जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा आराजी बयशुदा का सर्किल रेट रू0 1,75,00,000/– प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, जिसके अनुसार आराजी बयशुदा एकबा 0.4407है0 की कुल मालियत रू0 77,12,250/– होती है, उक्त आराजी में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उप कोषागार

[illegible]

01 JUL

एक बोरिंग चालू अवस्था में है जिसकी अधिकतम कीमत रू0 30,000/- है। इस प्रकार उक्त आराजी की कुल मालियत रू0 77,42,250/- होती है, जिस पर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

डी०के०टी० से जारी
AL 454304
01 JUL 2015
उप कोषाधिकारी

नियमानुसार शासनादेश दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7% की दर से स्टाम्प शुल्क रू0 5,42,100/- अदा किया जा रहा है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 512540

21 MAY 2013

(29)

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

आराजी खसरा सं0-627, कुल रकबा 1.3220हे0, स्थित-ग्राम मड़ियाव, परगना-महोना, तहसील-बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ का 1/3 भाग रकबा 0.4407हे0 जिसकी चौहद्दी निम्नवत् प्रदर्शित है :-

अवधेश कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 51253

(30)

पूरब : नाली बादहू खसरा सं0-350, 351,
पश्चिम : खसरा सं0-627 का भाग - सहखातेदार
उत्तर : खसरा सं0-626,
दक्षिण : खसरा सं0-627 का भाग - सहखातेदार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO

(31)

विक्रय मूल्य प्राप्ति का विवरण

विक्रेता ने क्रेता से कुल विक्रय मूल्य रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) नगद विभिन्न तिथियों में प्राप्त कर लिया है, अब कोई भी राशि उपरोक्त सम्पत्ति बाबत् विक्रेता को क्रेता से प्राप्त करना शेष नहीं है।

प्रस्तुत लेखपत्र में उभयपक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने खूब सोच, समझकर बिना किसी जोर दबाव के प्रसन्नचित्त से क्रेता के हक में निष्पादित कर दिया, ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

लखनऊ,
दिनांक : 05.07.2013

गवाहान :-

1...
....
....

2...
....
....

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता :-

(शमुस कुमार)
सिविल कोर्ट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता :-

(संदीप सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, लखनऊ।

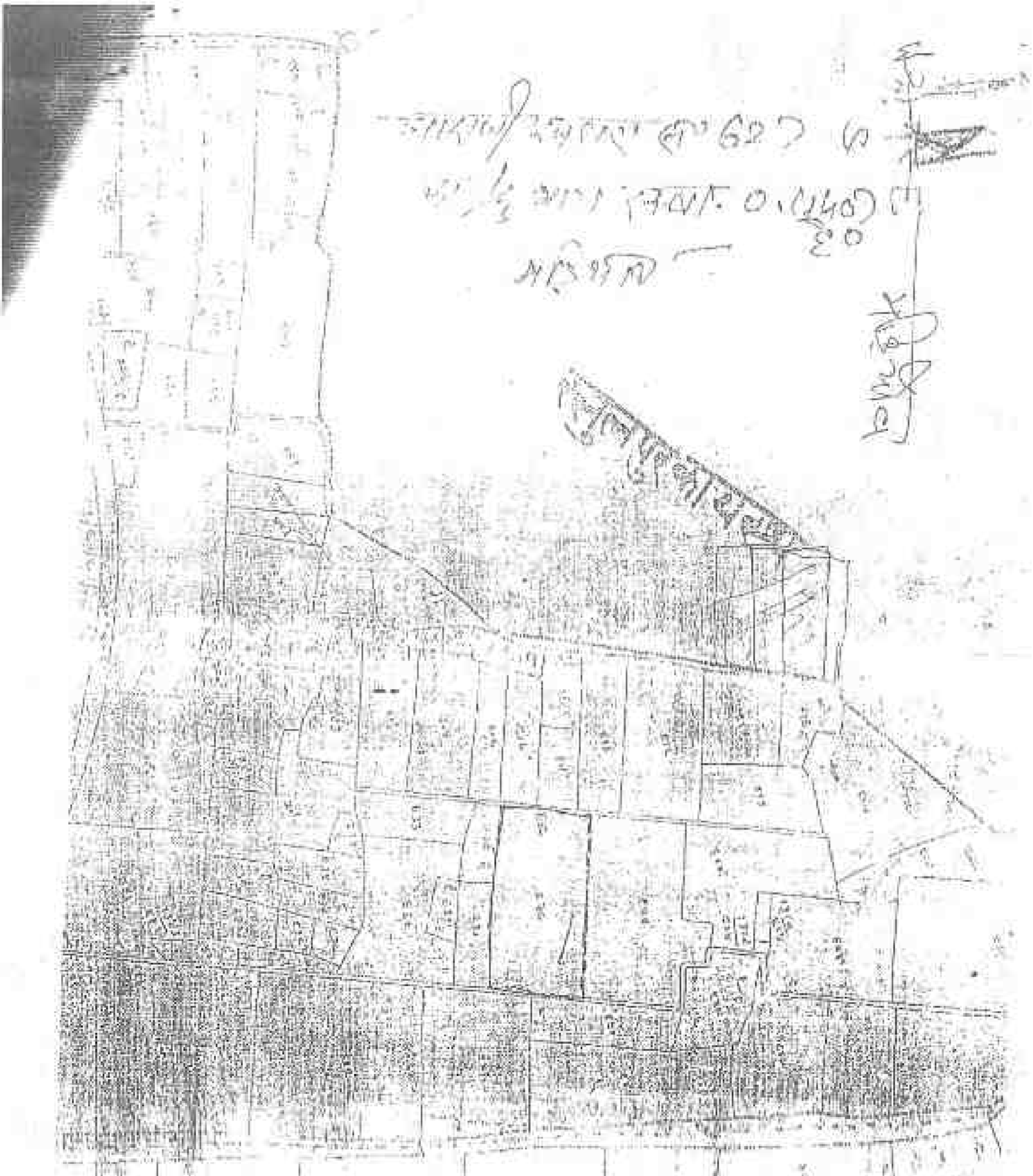

NTBRT
Gaziu 531/13
DD 4-12-13

(3)

आज दिनांक **08/07/2013** को

वही सं **1** जिल्द सं **5798**

पृष्ठ सं **41** से **106** पर कमांक **9823**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(दीप्ति शुक्ला)

उप निबन्धक

बक्शी का तालाब

8/7/2013

21

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Advocate

Advocate

विक्रय-विलेख

<u>लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण</u>

1. भूमि का प्रकार- कृषि भूमि
2. परगना -महोना
3. ग्राम- मोहियाव (नगर निगम सीमा के अन्दर स्थित है)
4. विक्रेता व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य है।

[illegible]

[illegible]

... श्री [illegible] निवासी, [illegible]

[illegible]

[illegible] २५.०५.२००१ [illegible] २६.०५.२००१

[illegible]

[illegible]

निवासी [illegible]

[illegible] निबन्धक [illegible]

[illegible]

[illegible] उप निबन्धक [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत INDIA

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5. सम्पत्ति का विवरण- गाटा संख्या- 627 रकबा 1.322 हे0 का 1/3 भाग रकबा 0.441 हे0 यानी अपना सम्पूर्ण अंश

6. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्गमीटर) हेक्टेयर में

7. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.441 हे0

8. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)-सीतापुर मार्ग से लगभग 3 किमी0 दूर

9. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि) - नहीं है

10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में) - नहीं है।

11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल :- नहीं है।

12. स्थिति-फिनिश्ड / सेमीफिनिश्ड/ अन्य- नहीं है।

13. पेड़ों का मूल्यांकन :-नहीं

14. बोरिंग / कुआं / अन्य :- नहीं है।

[illegible]

दि. [illegible]

पेशकार

श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

[illegible]

हस्ताक्षर [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

ISSUED FROM ... UTTAR PRADESH

15.निर्मित क्षेत्रफल :- नहीं है।

16.निर्माण का वर्ष :- निर्माण नहीं है।

17.सर्किल रेट- 80,00,000/- रुपया प्रति है0

18.प्रतिफल की धनराशि :- 25,00,000/- रुपया

19.सम्पत्ति की मालियत :- 35,20,000/- रुपया

20.देय स्टाम्प शुल्क :- 2,37,000/- रुपया

चौहद्दी फरोख्तशुदा जायदाद उपरोक्त

पूरब - नाली चकरू खेत गाटा संख्या- 656

पश्चिम- चकमार्ग

उत्तर - खेत सीताराम वगैरह

दक्षिण - खेत गाटा संख्या- 628 (हरिनाथ)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ISSUED FROM S.T. SUB TRY

S.T.O.

प्रथम पक्ष की संख्या - 1 विक्रेता का विवरण	द्वितीय पक्ष की संख्या क्रेता का विवरण
परसादी आयु लगभग 65 वर्ष पुत्र महावीर निवासी ग्राम मड़ियांव परगना- महोना, तहसील- बख्शी का तालाब, जिला- लखनऊ	श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible] निवासी [illegible] अम्बेडकर नगर [illegible] नवेगा, [illegible], लखनऊ
व्यवसाय :- कृषि	व्यवसाय :- गृहणी

मनोज परसादी आयु लगभग 65 वर्ष पुत्र महावीर निवासी ग्राम मड़ियांव परगना- महोना, तहसील- बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ का हूँ।

जो कि कृषि आगामी खतौनी फसली वर्ष 1411-1416 तक के खाता संख्या- 00298 की गाटा संख्या 627 रकबा 1.322 का 1/3 भाग रकबा 0.441 हे0 वाली अपना सम्पूर्ण अंश स्थित ग्राम मड़ियांव परगना

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

SUB TREASURY

S.T.O.

प्रति हेक्टेयर है। जिसके हिसाब से [illegible] मालियत मु0 35,28,000/- रुपया होती है। चूँकि क्रेता महिला है इसलिए संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग 5 की अधिसूचना संख्या- [illegible]-5-462/11/2006-500(92)2006 दिनांक 13.02.2006 के अनुसार [illegible] छूट है इसलिए चालानी मालियत पर संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग 5 की अधिसूचना संख्या क0नि0वा0नि0-5-2756/11-2008-500(165)2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अनुसार उपरोक्त मालियत में मु0 10,00,000/- रुपया तक की मालियत पर 60/- रुपया प्रति हजार की दर से तथा शेष मालियत मु0 25,28,000/- रुपया पर 70/- रुपया प्रति हजार की दर से कुल मु0 2,37,000/- रुपया का जनरल स्टाम्प होता है [illegible] से मु0 50,100/- रुपया का जनरल स्टाम्प [illegible] क्रय दिनांक 09.01.2009 को अदा किया गया है [illegible]

भारत

Rs.

25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.

25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

UTTAR PRADESH
SUB TRY
[illegible]
S. T. O.

[illegible] तहसील [illegible] व [illegible] जिला लखनऊ [illegible]

प्राप्त किया है जो मेरे कब्जे व दखल [illegible] [illegible]

सरकारी से युक्त विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज [illegible] जो [illegible]

विक्रय के हस्तान्तरण [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], जमानत [illegible]

मुक्त [illegible] साफ है जिसे विक्रय करने का पूर्ण अधिकार [illegible]

बजरूरत खुद रुपयों की [illegible] आवश्यकता होने के कारण [illegible]

मय रकबा [illegible] मुतालिकान उसके बिला छोड़े किसी [illegible]

अपने दुरुस्त होश हवास में बिला दाब [illegible] किसी [illegible]

समझ कर बिल [illegible] मु0 25,00,000/- रुपया (पच्चीस लाख [illegible])

जिसके आधे मु0 12,50,000/- रुपया (साढ़े बारह लाख [illegible])

है बदस्त श्रीमती [illegible] पत्नी श्री [illegible] निवासिनी [illegible]

अम्बेडकर नगर हाल निवासिनी [illegible], [illegible], लखनऊ को [illegible]

[illegible signatures]

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

ISSUED TO [illegible] SH

SUB. TRY

S.T.G.

32 [illegible]

-6-

वसूल किया और कुल जर समन हस्ब तफसील केता से वसूल पाकर [illegible] दखल मालिकाना मय शुदा जायदाद मुश्तेरा पर केता को [illegible] दिया अब मेरा व मेरे वारिसानों का बय शुदा जायदाद [illegible] व दावा बाकी नहीं रहा अगर कोई शख्स किसी किस्म का [illegible] मय शुदा जायदाद मुश्तेरा के बाबत पेश करे तो [illegible] और मुकदमा जवाब देही उसकी मय खर्चा कचेहरी [illegible] समन मुन्द विक्रेता के जिम्मे है और मुझ विक्रेता की जात [illegible] हर किस्म की जायदाद मनकूला व गैर मनकूला वापसी कुल जर समन [illegible] जिम्मेदार है। बय शुदा जायदाद किसी राजमार्ग, जनपदीय मार्ग, [illegible] सहायक मार्ग आदि के किनारे स्थित नहीं है। बयशुदा [illegible] में [illegible] कुआँ, बोरिंग, निर्माण आदि नहीं है। बय शुदा जायदाद कृषि भूमि है [illegible] सर्किल रेट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ द्वारा 80,00,000/- रुपया

INDIA NON JUDICIAL

Rs.10000

RUPEES TEN THOUS[illegible]

S.T.O.

-8-

1,87,000/- रुपया का जनरल स्टाम्प [illegible] बवक्त [illegible] [illegible] गया है। वसूला जायदाद के बाबत [illegible] के [illegible] के गये इकरार नामा [illegible] बिना कब्जा निष्पादित किया गया है जो श्रीमान उप निबंधक [illegible] के कार्यालय में पुस्तक संख्या- प्रथम, खण्ड- 2152 पृष्ठ संख्या 1/1[illegible] दस्तावेज नं0- 125/09 पर दिनांक 09.01.2009 [illegible] है। वसूला जायदाद की वार्षिक मालगुजारी [illegible] आता है। [illegible] आबादी से लगभग 500 मी0 की दूरी पर स्थित है। वसूला [illegible] की [illegible] है।

<u>तफसील वसूलयाबी कुल [illegible] सत्त।</u>

1. मु0 1,00,000/- रुपया नकद बवक्त इकरार नामा वसूल [illegible]।

भारतीय गैर न्यायिक NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

JAN 2010

-7-

मु0 3,00,000/- रुपया जरिये चैक संख्या- 502335 दिनांक 07.01.2010 बैंक आफ बड़ौदा शाखा [illegible] रोड, लखनऊ द्वारा वसूल पाया।

मु0 3,00,000/- रुपया जरिये चैक संख्या- [illegible] दिनांक 07.01.2010 बैंक आफ बड़ौदा शाखा [illegible] रोड, लखनऊ द्वारा वसूल पाया।

मु0 18,00,000/- रुपया नकद वसूल पाया।

इस प्रकार कुल मु0 25,00,000/- रुपया क्रेता से वसूल पाया।

लिहाजा यह विक्रय-विलेख हम उभय पक्षों ने अपनी राजी खुशी व दुरुस्त होश हवास में बिला दबाव नाजायज किसी शख्स के खूब सोच समझकर [illegible] तहरीर [illegible] करा दिया ताकि सनद रहे और वक्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

₹ 1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-10-

[illegible] एवं नाम आये।

दिनांक 07.01.2010

गवाह -1 [illegible]
[illegible]
पता - [illegible]

गवाह -2 [illegible]

पता - [illegible]

हस्ताक्षरकर्ता
[illegible]
(नन्द किशोर वर्मा)
डी०के०टी०, लखनऊ

मुख्तारकर्ता
[illegible]

पैमाना नक्शा 210 मी0 रकबा में

ग्राम

तहसील: [illegible]

जिला: लखनऊ।

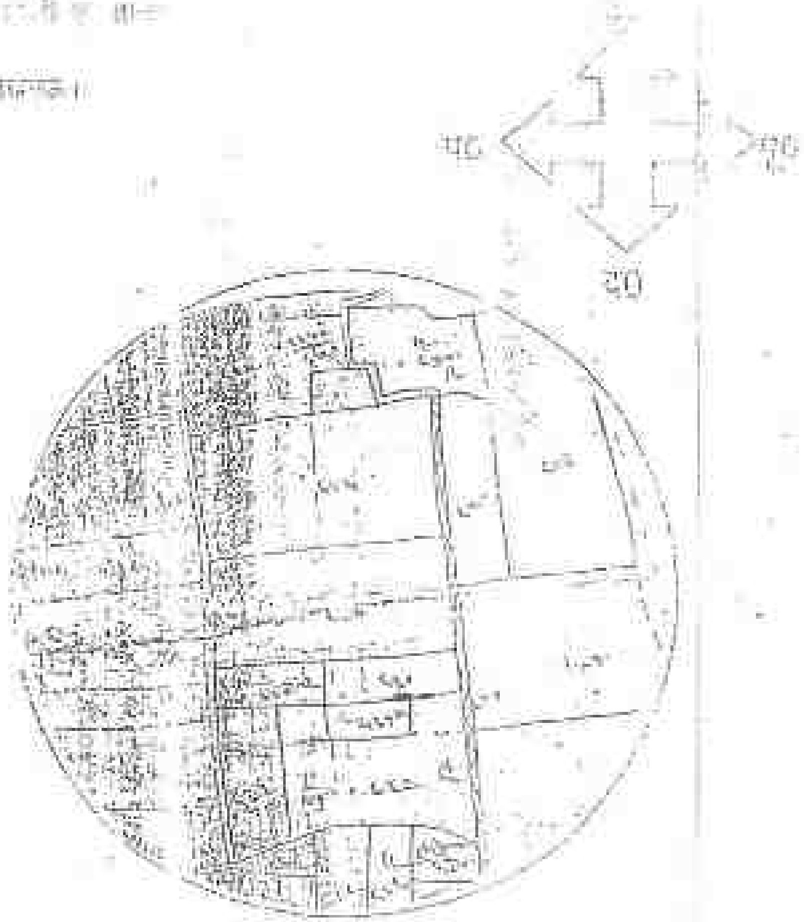

छाया चित्र

गाटा संख्या- 6.7 रकबा 1.322 है0 का 1/3 [illegible] 0.4[illegible] है0 स्थित ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] के तालाब जनपद लखनऊ।

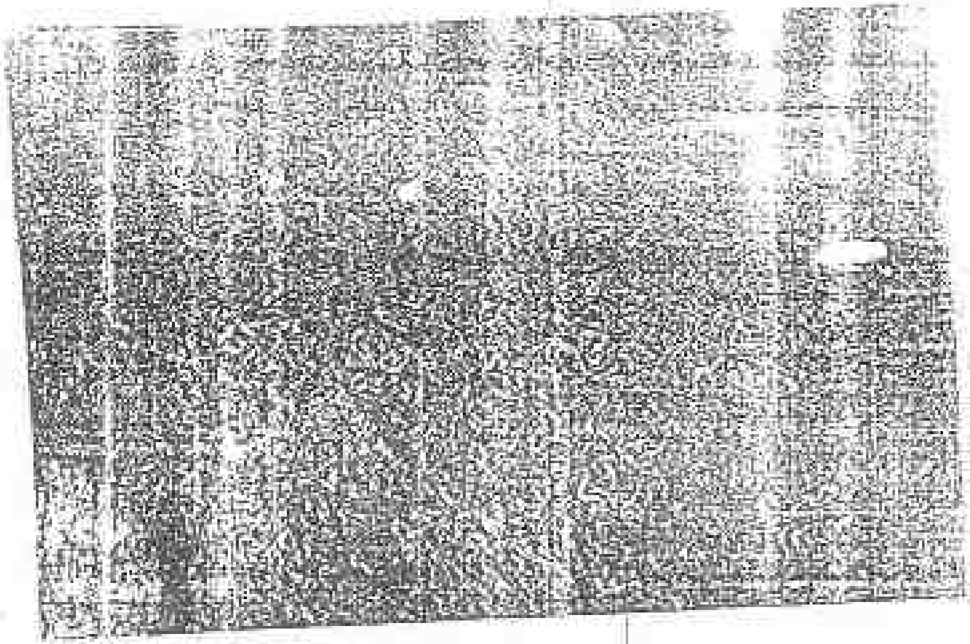

क्रेता

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए के अनुपालन में

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता- [illegible] पत्नी [illegible] आयु [illegible] वर्ष पुत्र [illegible] निवासी [illegible] तहसील- [illegible], जिला- लखनऊ

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह-

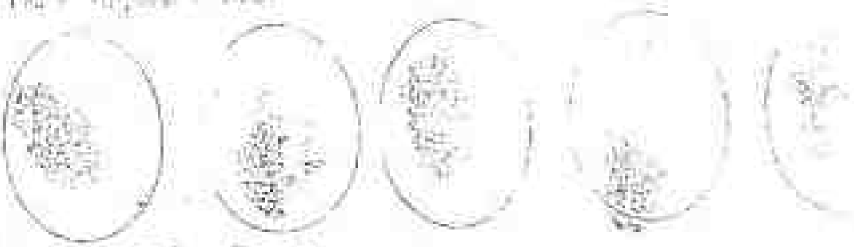

दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह-

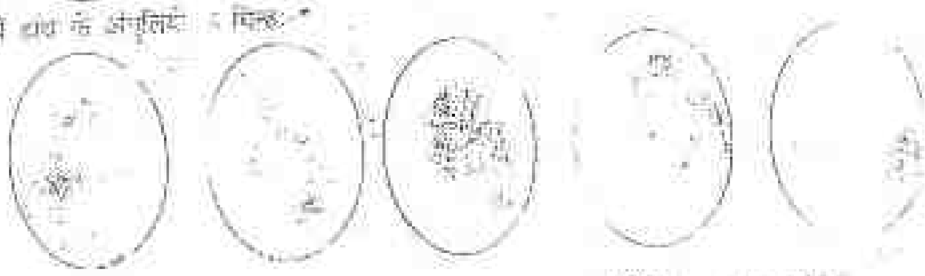

[illegible] निबन्धक/विक्रेता के [illegible]

क्रेता का नाम व पता- श्रीमती पूजा पत्नी श्री [illegible], [illegible] अम्बेडकर नगर [illegible] निवासिनी [illegible], गणेशगंज, लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह-

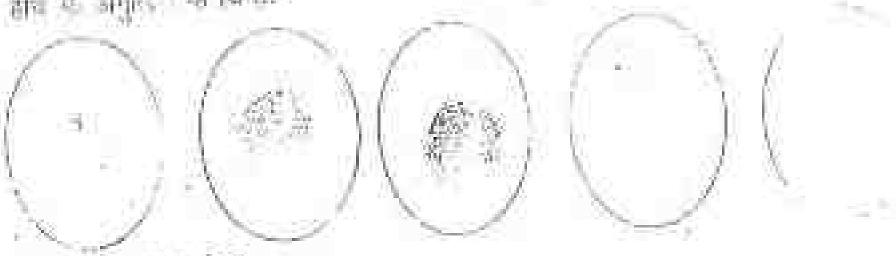

दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह-

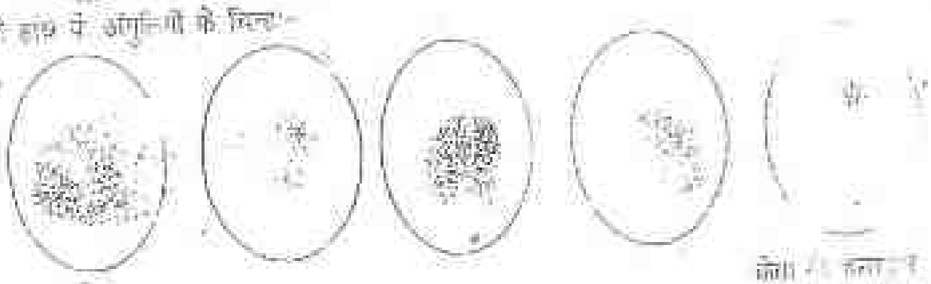

क्रेता के हस्ताक्षर

(3)

7/01/2010

2850

— 545/

115/10

INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17 NOV 2015

विक्रय विलेख

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार– कृषि भूमि
2. परगना – महोबा
3. ग्राम– मढ़ियांव (नगर निगम सीमा के अन्दर)
4. विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।
5. सम्पत्ति का विवरण– गाटा संख्या– 627 रकबा 1.322 हे0 का 1/3 भाग रकबा 0.441 हे0 यानी अपना सम्पूर्ण अंश
6. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्गमीटर) हेक्टेयर मे

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये
Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 796704
12 NOV 2010

7. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.441 हे०
8. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)– सीतापुर राजमार्ग से 3 किमी० दूर है तथा आबादी से 400 मी० दूर है।
9. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि) – नहीं है।
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में):– नहीं
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल :– नहीं
12. स्थिति–फिनिश्ड/सेमीफिनिश्ड/अन्य:– नहीं
13. निर्मित क्षेत्रफल:– नहीं
14. निर्माण का वर्ष:– नहीं
15. पेड़ों का मूल्यांकन– नहीं है।
16. सर्किल रेट:– 1,10,00,000/– रुपया प्रति हे०

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12 NOV 2010

-3-

17. प्रतिफल की धनराशि:- 27,00,000/- रुपया

18. सम्पत्ति की मालियत:- 48,51,000/- रुपया

19. देय स्टाम्प शुल्क :- 3,39,600/- रुपया जिसमें से 54,000/- रुपया का जनरल स्टाम्प इकरार नामा बिना कब्जा द्वारा दिनांक 19.08.2009 को अदा किया जा चुका है शेष मु0 2,85,600/- रुपया का स्टाम्प शुल्क आज अदा किया गया है।

<u>चौहद्दी बयशुदा जायदाद उपरोक्त</u>

पूरब – खेत सहखातेदार राम सेवक

पश्चिम– चकमार्ग

उत्तर – खेत बजरंगी सहखातेदार

दक्षिण – खेत परसादी सहखातेदार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लखनऊ कोषागार से जारी
12 NOV 2010
आदर्श ... लखनऊ

-4-

प्रथम पक्ष की संख्या :- 1 विक्रेता का विवरण	द्वितीय पक्ष की संख्या :- 1 क्रेता का विवरण
सीताराम आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र महाबीर निवासी ग्राम मढ़ियांव परगना- महोना, तहसील- बख्शी का तालाब, जिला- लखनऊ	श्री जितेन्द्र पुत्र स्व0 राधे निवासी ग्राम कुटिया, जिला- अम्बेडकर नगर
व्यवसाय :- कृषि	व्यवसाय :- कृषि

मनकि सीताराम आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र महाबीर निवासी ग्राम मढ़ियांव परगना- महोना, तहसील- बख्शी का तालाब, जिला- लखनऊ का हूँ।

नि० सीताराम

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 796701

आदर्श कोषागार लखनऊ
लखनऊ कोषागार से जारी
12 NOV 2010
कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ

-5-

जो कि मैं विक्रेता कृषि आराजी खतौनी फसली 1411-1416 की खाता संख्या- 00298 की गाटा संख्या- 627 रकबा 1.322 है० का 1/3 भाग रकबा 0.441 है० यानी अपना सम्पूर्ण अंश स्थित ग्राम गढ़ियांव परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ का मालिक व काबिज हैं। उक्त भूमि को मैंने जरिए वरासतन प्राप्त किया है। जो मेरे कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है जो जुमला हर किस्म के भार मिस्ल, रेहन, बय, हिबा, जमानत व कर्ज के भार से मुक्त बरी पाक साफ है जिसे विक्रय करने का हक व अधिकार

भारत INDIA NON JUDICIAL
₹ 25000 पच्चीस हजार रुपये
Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
A 783496

-6-

मुझ विक्रेता को प्राप्त है अब बजरूरत खुद रुपयों की सख्त आवश्यकता होने के कारण उसी भूमि उपरोक्त को मय जुमला हकूक मुतालिकात उसके बिला छोड़े किसी चीज हक व जुज के अपने दुरुस्त होश हवास में बिला दाब नाजायज किसी शख्स के खूब सोच समझकर बिल एवज मु0 27,00,000/- रुपया (सत्ताइस लाख रुपया) कि जिसके आधे मु0 13,50,000/- रुपया (तेरह लाख पचास हजार रुपया) होते हैं बदस्त श्री जितेन्द्र पुत्र स्व0 राधे निवासी ग्राम कुटिया, जिला- अम्बेडकर नगर के हक में बय कतई किया

भारत INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 783500

-2-

और कुल जर समन निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना बय शुदा भूमि उपरोक्त पर क्रेता को वाकई बखूबी करा दिया अब मेरा व मेरे वारिसानों का बय शुदा भूमि उपरोक्त पर कोई हक व दावा बाकी नहीं रहा अगर कोई शख्श किसी किस्म का कोई दावा व तनाजा बय शुदा भूमि उपरोक्त के बाबत पेश करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे और मुकम्मल जवाब देही उसकी मय खर्चा दावेदारी वगैरह वापसी कुल जर समन मुझ विक्रेता के जिम्मे है और मुझ विक्रेता की जात व हर किस्म की जायदाद

भारत INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 763497

-8-

मनकूला व गैर मनकूला वापसी कुल जर समन मय खर्चा अदालत के जिम्मेदार है। बय शुदा भूमि किसी राजमार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग, खड़न्जा मार्ग के किनारे स्थित नहीं है। बयशुदा भूमि में कोई कुआँ, बोरिंग, निर्माण आदि नहीं है। बयशुदा भूमि कृषि भूमि है जिसका सर्किल रेट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा निर्धारित मु0 1,10,00,000/– रुपया प्रति हे0 है। जिसके हिसाब से बयशुदा जायदाद की मालियत मु0 48,51,000/– रुपया होती है, इसलिए शासनादेश संख्या स0वि0क0नि0–5–2756/ 11–2008–

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 783498

-9-

500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अनुसार उपरोक्त मालियत पर 70/- रुपया प्रति हजार की दर से मु0 3,39,600/- रुपया का जनरल स्टाम्प होता है। जिसमें से मु0 54,000/- रुपया का जनरल स्टाम्प बावक्त इकरारनामा बिना कब्जा अदा किया गया है तथा शेष मु0 2,85,600/- रुपया का जनरल स्टाम्प आज बवक्त बैनामा नियमानुसार अदा किया गया है। बयशुदा जायदाद की वार्षिक मालगुजारी परता खाया है। बयशुदा जायदाद के बाबत विक्रेता व क्रेता के मध्य इकरारनामा बय बिना कब्जा निष्पादित

नि.श्रीताराचन्द

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A-783495

किया गया है। जो श्रीमान उपनिबंधक मस्ती या तालाब, लखनऊ के कार्यालय में पुस्तक संख्या– प्रथम, खण्ड– 2627 पृष्ठ संख्या– 153/172 दस्तावेज संख्या– 5066 पर दिनांक 19.08.2009 को पंजीकृत है।

भुगतान का विवरण

1. मु0 5,00,000/– रुपया जरिए एकाउन्ट पेयी चेक संख्या– 47580 दिनांक 19.08.2009 बैंक आफ बड़ौदा, फूली रोड, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये
Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 783497

-11-

2. मु0 4,90,000/- रुपया जरिए चेक संख्या- 102954 दिनांक 10.11.2010 केनरा बैंक शाखा- जानकीपुरम, लखनऊ

3. मु0 4,90,000/- रुपया जरिए चेक संख्या- 102955 दिनांक 11.11.2010 केनरा बैंक शाखा- जानकीपुरम, लखनऊ

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
10000 रु. Rs.10000
RUPEES TEN THOUSAND
दस हजार रुपए

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

008564

-12-

4. मु0 4,90,000/– रुपया जरिए चेक संख्या– 102956 दिनांक 12.11.2010 केनरा बैंक शाखा– जानकीपुरम्, लखनऊ

5. मु0 3,00,000/– रुपया जरिए चेक संख्या– 102957 दिनांक 16.11.2010 केनरा बैंक शाखा– जानकीपुरम्, लखनऊ

6. मु0 4,30,000/– रुपया नकद

एक

उत्तर प्रदेश UTTAR

100

RUPEES

546717

... ,00,000/- रुपया विक्रेता ने क्रेता

से वसूल पाया।

लिहाजा यह विक्रय विलेख हम उभय पक्षों ने अपनी राजी खुशी व दुरुस्त होश हवास में बिला दाब नाजायज किसी शख्स के खूब सोच समझकर बखूबी कतई तहरीर कराकर टाईप करा दिया

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 415501 8 OCT 2010

ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

दिनांक 16.11.2010

गवाह (1)

पता:-

विक्रेता

गवाह (2)

पता:-

क्रेता

टाईपकर्ता

(नन्द किशोर वर्मा)

बी०के०टी०, लखनऊ

मसविदाकर्ता

16.11.10

छाया चित्र

गाटा संख्या 627 रकबा 1.322 हे0 का 1/3 भाग रकबा 0.441 हे0 स्थित ग्राम मड़ियांव, परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ

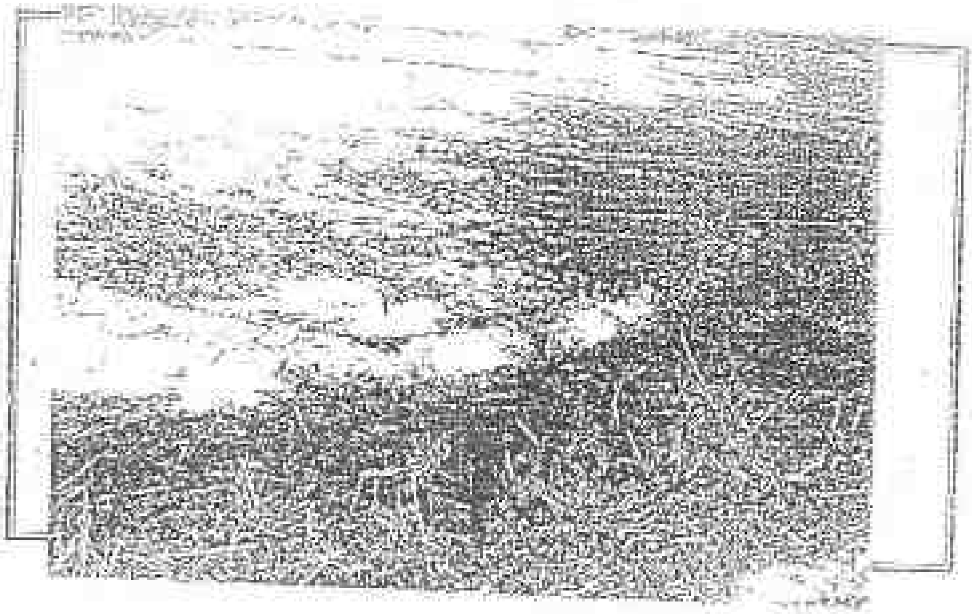

विक्रेता

क्रेता

नजरी नक्शा 200 मी० त्रिज्या में

ग्राम ...... [illegible] ...... परगना ...... [illegible]
तहसील – बक्शी का तालाब
जिला– लखनऊ।

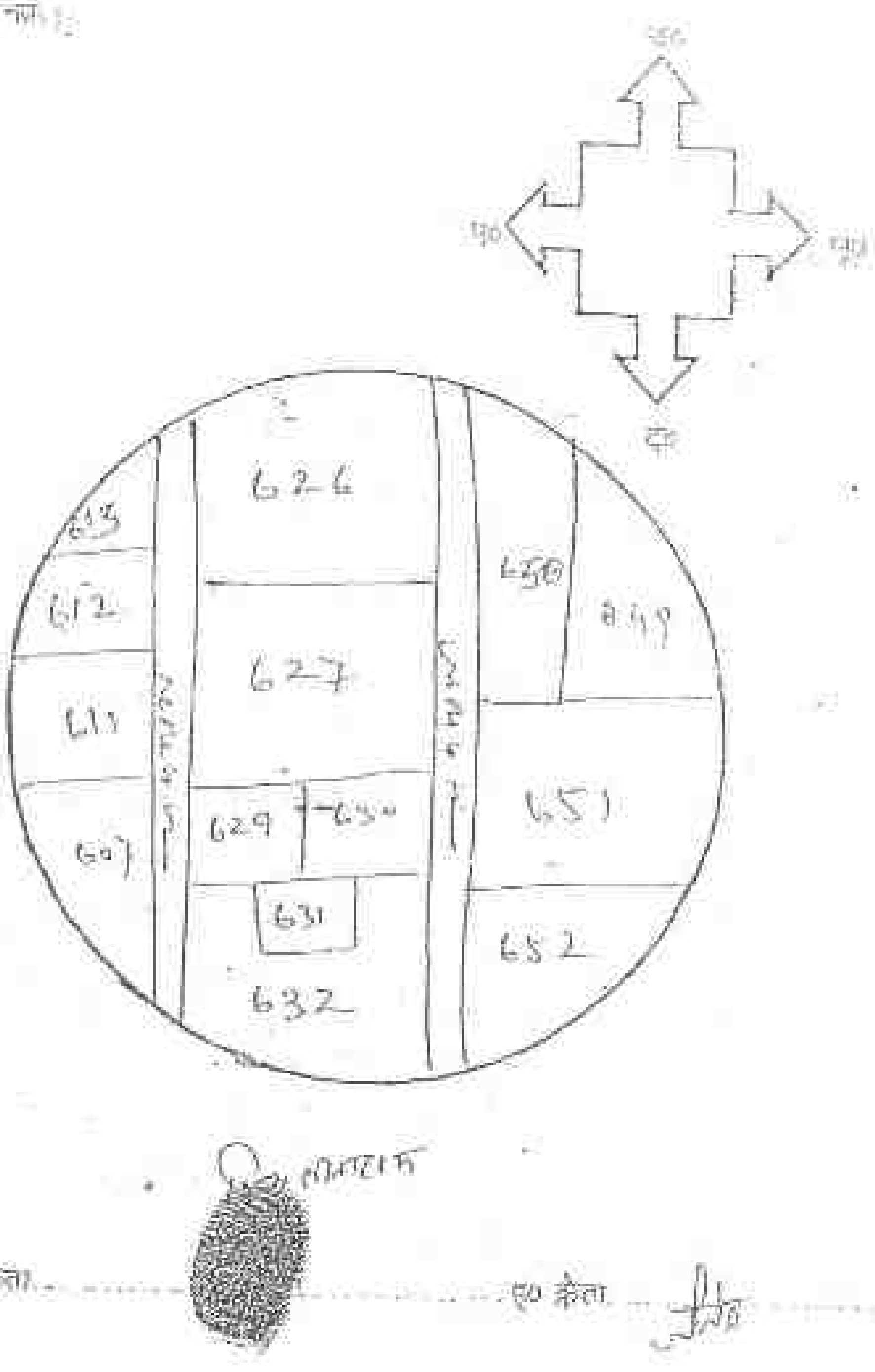

हस्ताक्षर विक्रेता ...... ह० क्रेता ......

[illegible]

Registration No. : 11445 Year : 2,010 Sheet No. : 1

[illegible]

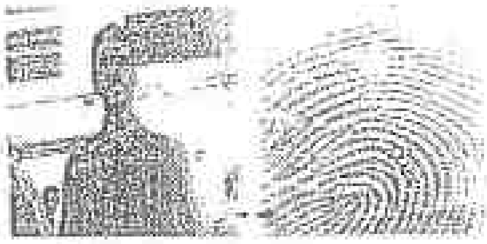

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा- 32 ए के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता – सीताराम आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र महावीर निवासी ग्राम मड़ियांव परगना- महोना, तहसील- बख्शी का तालाब, जिला- लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

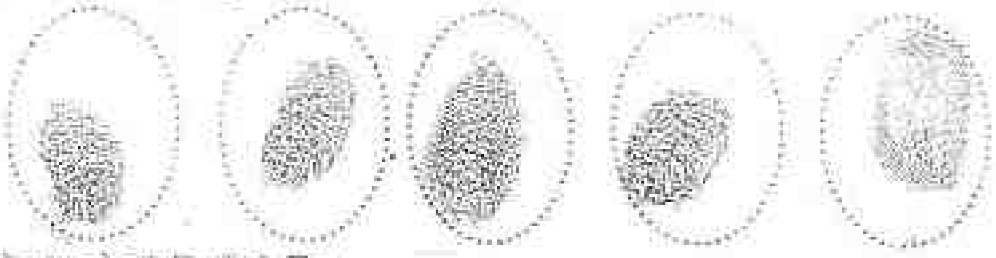

दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

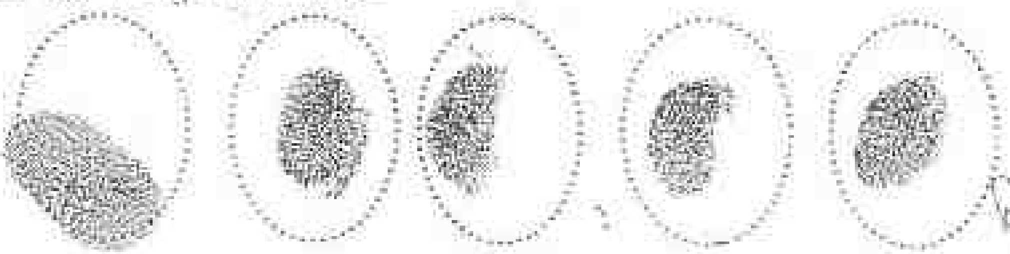

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता क्रेता का नाम व पता:- श्री जितेन्द्र पुत्र राम राधे निवासी ग्राम कुटिया, जिला अम्बेडकर नगर

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

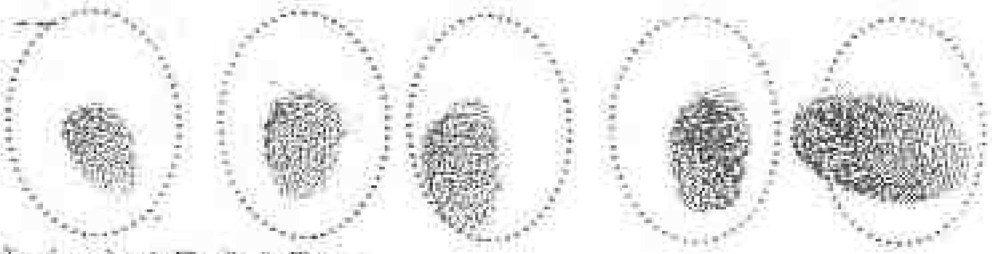

दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

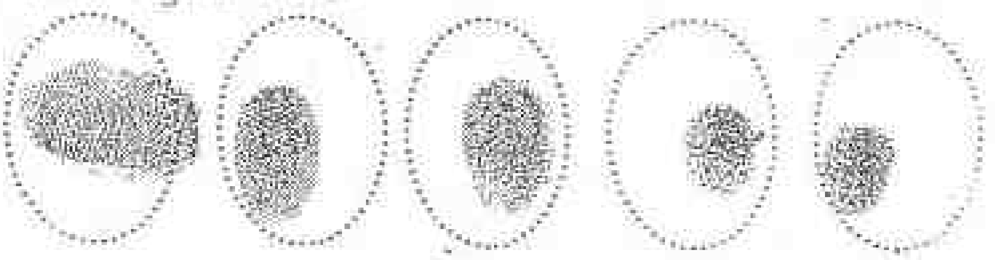

प्रस्तुतकर्ता क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 16/11/2010 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 3449

पृष्ठ सं. 127 से 160 पर क्रमांक 10445

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस [illegible] खन्ना
उप निबन्धक
बख्शी का तालाब
16/11/2010

उप निबन्धक